न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 54 / 2022 (2022 / 182)

1. फोरया देवी पुत्री बद्री
2. मन्दोहर देवी पुत्री बद्री
3. रतन लाल पुत्र बद्री
4. लाडा देवी पत्नि स्व बद्री
5. सांवरिया पुत्र बद्री
6. हंसा देवी पुत्री बद्री

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम तिवरिया तहसील देवली जिला टोंक

——प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्योजी पुत्र मोती
2. मनराज पुत्र श्योजी

जति गुर्जर निवासीगण सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—
श्री चेतन धाभाई :— अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड :— अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 व 2
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 06.04.2023

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है--

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
271—244	2623 / 2585	1.25	बारानी 3
	कुल किता 1	**कुल रकबा 1.25 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त, स्वामित्व की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का हक हिस्सा व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के पडौसी है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में जबरन काश्त को खराब कर देते है व सीमा चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट कर देते है जिरासे आये दिन सीमा विवाद, लडाई—झगडा होने का अन्देशा बना रहता है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.12.2021 को जबरन प्रार्थीगण के खेत में घुसकर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा व मारपीट की गई जिराकी रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पुलिस थाना केकड़ी में की गई व प्रकरण संख्या 746 / 2021 दर्ज करवाया गया। जिरासे कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के सीमाचिन्हों को नष्ट भ्रष्ट कर

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

दिया तथा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये जो दिन प्रतिदिन इस प्रकार की कार्यवाही करते रहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र अंकित किया गया जिसके अनुसार पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी प्रतिलिपि के अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि खातेदारी में दर्ज है, अतः राजहित प्रभावित नही होता है।

अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया, पेरा संख्या 2 प्रार्थीगण स्वयं द्वारा सिद्ध किया जाना बताया, पेरा संख्या 3, 4, 5 में वर्णित कथन गलत व ठोस रूप से अस्वीकार किया गया। पेरा संख्या 6 में वर्णित कथन सही है, प्रार्थीगण उक्त दिनांक को जबरन कब्जा छुडवाने आये थे जिसके कारण विवाद हुआ था। पेरा संख्या 7, 8 व 9 को ठोस रूप से अस्वीकार किया गया एवं पेरा संख्या 10 में वर्णित कथन कानूनी होने से जवाब आवश्यक नही होना जाहिर किया जाकर जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम सलारी तहसील केकड़ी की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 271–244 में दर्ज खसरा संख्या 2623/2585 रकबा 1.25 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर

Scanned with OKEN Scanner